कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना, (म0प्र0)

Telephone No :- 07732-250980 E-mail ID : dcourtpan-mp@nic.in

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक पी–164 / कोरोना वायरस / बण्डल / 2020, पन्ना, दिनांक 22.09.2020

न्यायिक जिला स्थापना पन्ना अंतर्गत तहसील मुख्यालय अजयगढ़ में संचालित न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक श्री अरविंद कुमार बरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने तथा न्यायालय में पदस्थ अन्य कर्मचारीगण के उनके संपर्क मे आने से राज्य शासन द्वारा कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में जारी दिशा–निर्देश आलोक में आज दिनांक 22.09.2020 से 05 दिवस हेतु संपूर्ण न्यायालय परिसर सीलबंद करते हुये, पदस्थ समस्त कर्मचारीगण को 05 दिवस हेतु होम क्वारंटीन किया जाता है। **उक्त अवधि में अजयगढ़ न्यायालय के अतिआवश्यक कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार जिला मुख्यालय पन्ना में पदरस्थ न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।**

होम क्वारंटीन के दौरान यदि किन्ही न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी को कोरोना से संबंधित कोई लक्षण दर्शित होते हैं तो वह कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे एवं चिकित्सीय परामर्श अनुसार उनकी जांच कराई जावेगी।

पीठासीन अधिकारी श्री अरविंद कुमार बरला, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक अजयगढ़, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अजयगढ़ के निर्देशानुसार 10 दिवस के लिये होम आईसोलेट रहेंगे।

22-9-2020

प्रेम नारायण सिंह
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक पी–165 / कोरोना वायरस / बण्डल / 2020, पन्ना, दिनांक 22.09.2020

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
02. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग अजयगढ़ की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को तदानुसार सूचित कराया जाना जाना सुनिश्चित करें।
03. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ अजयगढ़ / पन्ना, म0प्र0
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. श्री बुद्धिराज सिंह, सिस्टम ऑफीसर पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायलय पन्ना की बेवसाईड पर अपलोड करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)